

>

Title: Introduction of the Women and Girl Child (Prevention of Atrocities) Bill, 2012.

**श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहान (साबरकांठ):** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बालिकाओं और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों को नियंत्रित करने के लिए कठोर दण्ड, अत्याचारों के पीड़ितों के लिए पुनर्वास उपायों तथा महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अत्याचार के मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करने और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**सभापति महोदय :** पृथन यह है :

"कि बालिकाओं और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों को नियंत्रित करने के लिए कठोर दण्ड, अत्याचारों के पीड़ितों के लिए पुनर्वास उपायों तथा महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अत्याचार के मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करने और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहान :** महोदय, मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूँ।

---